

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, मंगलवार दिनांक 25 जनवरी 2011—माघ 5, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2011

क्र. बी-4-02-2011-2-पांच (01).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में निर्मित आवास गृहों पर उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 38 (ख) के अधीन साधारण बंधक की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है:—

- (1) बंधककर्ता हितग्राही को जिले के कलेक्टर द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया गया हो; और
- (2) उपरोक्त छूट रूपए 30,000/- के बंधक मूल्य तक ही सीमित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2011

क्र. बी-4-02-2011-2-पांच (01).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-02-2011-2-पांच, (01) दिनांक 25 जनवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th January, 2011

No. F-B-4-02-2011-2-V-(01).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government hereby, remits the stamp duty chargeable under Article 38(b) of Schedule 1-A to the aforesaid Act on an instrument of simple mortgage of houses constructed in Mukhyamantri Gramin Awas Yojana, under the following conditions:—

- (1) That the mortgagee beneficiary is certified as such by the Collector of the District; and
- (2) That the aforesaid exemption shall be restricted to mortgage value of Rs. 30,000/- only.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Add.Secy.